

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 59/12 - 13
सिद्धेश्वर प्रसाद पंडित वनाम् विजय कुमार एवं अन्य
आदेश

आवेदक सिद्धेश्वर प्रसाद पंडित पिता स्व० साधू पंडित ग्राम शहबाजपुर धेवई थाना मेहन्दिआ जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन करने एवं पैमाईश कराकर धेराबंदी कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम महुअरी नुरुल्लाह थाना वो जिला अरवल थाना नं० 25 में अवस्थित है निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
111 नया	1127 नया	10 डी०	उ० सीताराम यादव
76 पुराना	605 एवं 606 पुराना		द० वीरेन्द्र यादव पू० कामेश्वर सिंह प० एन०एच०98

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित जमीन को आवेदक ने तीन निबधित केवाला के माध्यम से दिनांक 09.09.02 को देवचरण मिस्त्री व राजनंदन मिस्त्री दोनों पेशरान स्व० सुखलाल मिस्त्री से क्रय किया है तथा उक्त तिथि से उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल काबिज चले आ रहे हैं।
- (2) प्रतिवादी सं० 2 का दावा है कि उक्त भूमि तीनों भाई के अर्जित आय से खरीदगी भूमि है, बिल्कुल गलत है। सत्यता है कि विक्रेता प्रश्नगत भूमि को दिनांक 09.07.75 में ही रामेश्वर साह एवं फूला देवी से रजिस्ट्री वसिका से प्राप्त किया है तथा प्रश्नगत भूमि में आवेदक आशनंदन मिस्त्री ने तीनों भाइयों में आपसी बटवारा से प्राप्त हिस्से की भूमि को दिनांक 24.11.90 को अपने ही भाई देवचरण मिस्त्री एवं राजनंदन मिस्त्री को रजिस्ट्री वसिका से बिक्री कर दिया था।
- (3) प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज भी सिद्धेश्वर पंडित के नाम से है तथा राजस्व का भुगतान आवेदक द्वारा किया जा रहा है।
- (4) आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का धेराबंदी किया जाने लगा तो प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 के द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया जिसके कारण आवेदक को यह वाद लाना पड़ा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि का पैमाईश कराकर पीलड गाड़ने एवं भूमि का धेराबंदी कराने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :-

- (1) विवादित जमीन प्रतिवादी सं० 2 के बड़े भाई देवचरण मिस्त्री के नाम खरीदगी भूमि से प्राप्त किया गया था तथा उक्त भूमि तीनों भाइयों के अर्जित आय से

✍

खरीदगी भूमि है।

(2) वादी द्वारा प्रस्तुत तीनों केवाला फर्जी है क्योंकि प्रतिवादी आशनंदन मिस्त्री द्वारा भूमि का बिक्री नहीं किया गया है।

(3) प्रतिवादी सं० 2 अपने हिस्से की भूमि पर पूर्ण रूपेण शांतिपूर्वक दखल काबिज है तथा वादी बिना कोई आधार के प्रतिवादी को तंग तबाह करने के उद्देश्य से उक्त वाद का संचालन कराये है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित जमीन को देवचरण मिस्त्री वो राजनंदन मिस्त्री पेशरन स्व० सुखलाल मिस्त्री से तीन निबंधित केवाला के द्वारा क्रय किया है। विपक्षी - 2 का दावा है कि विवादित जमीन में उनका भी हिस्सा है क्योंकि विवादित जमीन तीनों भाइयों के अर्जित आय से क्रय की गई थी। परन्तु विपक्षी 2 आशनंदन मिस्त्री ने अपने हिस्से की भूमि को पूर्व में ही दिनांक 24.11.90 को अपने दोनों भाइयों देवचरण मिस्त्री एवं राजनंदन मिस्त्री को बिक्री कर दिया था। जमीन बिक्री करने के उपरान्त उसी जमीन पर विपक्षी 2 आशनंदन मिस्त्री द्वारा दावा करना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकार विवादित जमीन पर आवेदक के अधिकार की धोषणा करती है। साथ ही अंचल अधिकारी अरवल को आदेश देती है कि एक माह के बाद विवादित जमीन का नापी कराकर पीलरींग कराये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

4/12/12
प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

4/12/12
प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

Secy to be held of 1st floor
24.11.2012
24.11.2012